बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक–

श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2569 दिनांक 03.11.2016 द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 116/2016 दिनांक 28.10.2016 धारा–7/8/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं श्री अंसारी को दिनांक 27.10.2016 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2109 दिनांक 21.02.2017 द्वारा दिनांक 27.10.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया। जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक 23.01.2017 को श्री अंसारी द्वारा विभाग में योगदान दिया गया। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 89 दिनांक 14.01.2017 द्वारा आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री अंसारी के विरूद्ध आरोप है कि परिवादी रामवृक्ष साह से 1,00,000/– (एक लाख) रूपये रिश्वत की मांग किये जाने तथा उनके सरकारी आवास से उनके अर्दली श्री वैद्यनाथ यादव (दैनिक वेतन कर्मचारी) के पास 1,00,000/– (एक लाख) रूपये जी०सी० नोट जो प्री–ट्रैप में अंकित था बरामद किया गया। परिवादी के भाई राम विलास साह से 1,00,000/– (एक लाख) रूपये रिश्वत की राशि स्वीकार किया जाना भ्रष्ट आचरण का परिचायक है तथा भ्र०नि०अधि०, 1988 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

श्री अंसारी के विरूद्ध उक्त थाना कांड में प्राथमिक अभियुक्त बनाये जाने के फलस्वरूप विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक 252 दिनांक 26.12.2016 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी तथा श्री अंसारी के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या 108/2016 दिनांक 26.12.2016 माननीय न्यायालय में समर्पित है।

विभागीय पत्रांक 2110 दिनांक 21.02.2017 द्वारा श्री अंसारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री अंसारी के पत्र दिनांक 24.04.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री अंसारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् विचारोपरान्त प्रतिवेदित आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए, आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13560 दिनांक 24.10.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त (वर्तमान–महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त), बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 533 दिनांक 28.04.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके विश्लेषण एवं जाँच परिणाम में उल्लेखित है कि :–

"उभय पक्षों को लिखित अभ्यावेदन देने एवं विभिन्न गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण करने का पर्याप्त मौका देने के बाद भी आरोपित पदाधिकारी के द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप को खारिज करने हेतु कोई पर्याप्त/प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये। आरोपित पदाधिकारी के खंडन एवं बचाव बयान में वर्णित प्रत्येक बिन्दु को खारिज करते हुए आरोप प्रमाणित करने हेतु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/प्रशासी विभाग के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य/तथ्य उपलब्ध कराया गया। इसकी पुष्टि विभिन्न गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण से भी होती है। आरोपित पदाधिकारी के द्वारा रिश्वत की राशि प्राप्त करने के आरोप प्री–ट्रैप मेमोरेंडम एवं पोस्ट–ट्रैप मेमोरेंडम में वर्णित विवरणी एवं गवाहों के बयान के साथ–साथ फॉरेंसिक जाँच से भी पुष्टि होती है।

(कृ0पृ0उ0)

वर्णित तथ्यों के आलोक में अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों/साक्ष्यों/साक्षियों के बयान/आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित खंडन/बचाव अभ्यावेदन की विवेचना/विश्लेषण से श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी (विभागीय कार्यवाही संख्या–44/2017 एवं प्रशासी विभाग के संकल्प सं0–13560 दिनांक 24.10.2017) के विरुद्ध गठित आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है।"

विभाग द्वारा श्री अंसारी से संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री अंसारी द्वारा बचाव अभ्यावेदन समर्पित किये जाने हेतु जाँच प्रतिवेदन, आदेश, संचिका का टिप्पणी भाग एवं आदेश संचिका के पत्राचार भाग की मांग की गयी। इस संबंध में विभाग द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के प्रावधानों के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री अंसारी को उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन के आलोक में बचाव अभ्यावेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया। पुनः श्री अंसारी द्वारा अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें कतिपय कागजातों को पुनः उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ अपना पक्ष भी समर्पित किया गया।

प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री अंसारी से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :–

1. श्री अंसारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(23) के अनुरूप समर्पित नहीं करने का आरोप लगाया गया है, जबकि जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा नियम–17 के प्रावधानों के तहत ही जाँच की गयी है एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।
2. श्री अंसारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के क्रम में उन्हें बचाव का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं करने का उल्लेख किया गया है, जबकि जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री अंसारी को अपना पक्ष रखने, लिखित अभ्यावेदन देने, विभिन्न गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है।
3. श्री अंसारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में विभागीय जाँच के क्रम में समर्पित प्रतिवाद कथन, गवाहों के बयान आदि के आधार पर उन पर लगाये गये आरोपों में से एक भी आरोप सिद्ध नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जबकि संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उनके उपर लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।
4. श्री अंसारी द्वारा यह कहना कि निगरानी थान पटना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 116/2016 दिनांक 28.10.2016 एवं इस पर आधारित आपराधिक कांड पूरी तरह से अवैध है। इसमें भारत के संविधान के प्रावधानों, सुसंगत विधियों एवं नियमों इत्यादि का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है। उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिकार कार्यवाही दोनों अलग–अलग प्रक्रिया हैं एवं दोनों में ही स्थापित नियमों के तहत कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है। श्री अंसारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही एवं आपराधिक कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगाने का असफल प्रयास किया गया है।
5. श्री अंसारी द्वारा अपने बचाव अभ्यावेदन में उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में कोई भी ठोस तथ्य अंकित नहीं किया गया है। अपितु उनके द्वारा जाँच प्रक्रिया में असहयोग, संचालन पदाधिकारी पर दोषारोपण एवं गलत तथ्यों के आधार पर बचने का असफल प्रयास किया गया है।

(कृ0पृ0उ0)

उक्त समीक्षोपरान्त पाया गया कि लिखित अभिकथन में श्री अंसारी अपने बचाव हेतु कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहें एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी कागजातों, साक्षियों के बयान इत्यादि के आधार पर समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री अंसारी पर आरोपित सभी आरोप पूर्णतया प्रमाणित प्रतिवेदित है। श्री अंसारी के विरुद्ध परिवादी श्री रामवृक्ष साह से रू० 1,00,000/– (एक लाख रूपया) रिश्वत की मांग किये जाने तथा उनके सरकारी आवास से उनके अर्दली श्री वैद्यनाथ यादव (दैनिक वेतन कर्मचारी) के पास रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपया) जी०सी० नोट जो प्री–ट्रैप में अंकित था, बरामद किये जाने संबंधी गंभीर आरोप प्रमाणित है। श्री अंसारी का यह आचरण बिहार सरकार आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 929/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत् **"शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती"** का दण्ड स्थायी रूप से अधिरोपित किये जाने का विनिश्चित किया गया।

श्री अंसारी के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 15470 दिनांक 20.08.2025 एवं पत्रांक 19415 दिनांक 13.10.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 4171 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्ति की गयी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री अंसारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विनिश्चि दंड एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत श्री अंसारी का **"शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती"** का दंड स्थायी रूप से अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत **"शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती"** का दंड स्थायी रूप से अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/नि0था0–11–03/2016–सा0प्र0– 2430 **/पटना, दिनांक–** 3·2·26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929/11, पत्राचार–फ्लैट नं0–402, मक्का टावर अपार्टमेंट, समनपुरा, राजा बाजार पटना–800014, मो0नं0–8709422574/वरीय पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.2.26

सरकार के अवर सचिव।